न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, सत्र खण्ड दमोह (म.प्र.)

(समक्ष :: अनुराधा शुक्ला)

MJCR 514/2020
Filing No.-3766/2020
CNR-MP3401-004355-2020
Filing Date-23-11-2020

1. गोलू उर्फ दीपेन्द्र सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह परिहार, उम्र 30 वर्ष
   निवासी– ग्राम हिनौता थाना दमोह देहात, जिला दमोह
2. बलवीर ठाकुर पिता बहादुर सींग ठाकुर, उम्र 26 वर्ष
   निवासी– चिरका बाकिनी पोस्ट पथरिया, जिला दमोह

.....**आवेदकगण**

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. महेश चौरसिया पिता नर्मदा चौरसिया, उम्र 61 वर्ष
   निवासी–आजाद वार्ड हटा, जिला दमोह
3. लोकेश पिता कडोरी पटैल, उम्र 32 वर्ष
   निवासी–ग्राम तारावली पोस्ट पथरिया, जिला दमोह
4. इन्द्रपाल पिता शिवचरण बड्डा पटैल, उम्र 29 वर्ष
   निवासी– गांधी वार्ड हटा, जिला दमोह
5. अमजद पिता अबरार पठान, उम्र 39 वर्ष
   निवासी– कमला नेहरू वार्ड हटा, जिला दमोह
6. श्रीराम शर्मा पिता जमना शर्मा, उम्र 50 वर्ष
   निवासी– ग्राम जमुनिया जिला दमोह
7. राजेन्द्र उर्फ राजा डॉन पिता श्याम सुन्दर अहिरवार उम्र 28 वर्ष
   निवासी– ग्राम बांसातारखेड़ा थाना दमोह देहात, जिला दमोह
8. अनिश खान पिता गुड्डू खान, उम्र 22 वर्ष
   निवासी– आजाद वार्ड हटा, जिला दमोह
9. मोनू पिता कमलेश तंतवाय, उम्र 20 वर्ष
   निवासी– मुराली मोहल्ला, हटा, जिला दमोह
10. अनीस खान पिता अजिम खान, उम्र 23 वर्ष
    निवासी– नवोदय वार्ड हटा, जिला दमोह
11. विकास पिता बाला प्रसाद पटैल, उम्र 34 वर्ष
    निवासी– झांसी (उ.प्र.)
12. सोहिल खान पिता मो. हनीफ खान उर्फ हन्नू पठान, उम्र 25 वर्ष
    निवासी– नवोदय वार्ड हटा, जिला दमोह
13. शाहरूख खान पिता अब्दुल रसीद खान, उम्र 24 वर्ष

निवासी—कमला नेहरू वार्ड हटा, जिला दमोह
14. भान सिंह पिता अरवल सिंह परिहार, उम्र 24 वर्ष
निवासी— ग्राम हिनौता थाना दमोह देहात, जिला दमोह
15. आकाश सिंह पिता आजाद सिंह परिहार, उम्र 22 वर्ष
निवासी— ग्राम हिनौता थाना दमोह देहात, जिला दमोह
16. संदीप टोमर पिता श्री समुद्र सिंह टोमर, उम्र 27 वर्ष
निवासी— ग्राम हथनी पोस्ट नोहटा, जिला दमोह
17. खूमचंद पटैल नन्ना पिता भगवानदास पटैल, उम्र 27 वर्ष
निवासी— ग्राम धनगौर, दमोह देहात, जिला दमोह
18. विक्रम सिंह पिता श्री मेहरबीन सिंह, उम्र 21 वर्ष
निवासी— ग्राम सिहोरा जिला दमोह
19. सुकेन्द्र पिता रामलाल अठ्या, उम्र 23 वर्ष
निवासी— ग्राम सिहोरा, जिला दमोह
20. रत्नेश पटैल पिता खिलान पटैल, उम्र 29 वर्ष
निवासी— ग्राम अदनवारा पोस्ट गैसाबाद, जिला दमोह

.... **अनावेदकगण**

आवेदकगण द्वारा — श्री रमेश श्रीवास्तव अधिवक्ता।
अनावेदक क्र.1 द्वारा — श्री बी.एम. शर्मा, डी.पी.ओ.।
अनावेदक क्र.2 द्वारा — श्री मनीष नगाइच अधिवक्ता।
शेष अनावेदकगण द्वारा कोई उपस्थित नहीं।

—आदेश—
(आज दिनांक 21.01.2021 को पारित।)

01. इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से धारा 409 द.प्र.सं. के अंतर्गत दिनांक 23.11.2020 को प्रस्तुत आवेदन का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हटा के न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 राज्य विरूद्ध राजा डॉन को अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया है।

02. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 में पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोपीगण के साथ भेदभाव करते हुए जानबूझकर अभियोजन का पक्ष लिया जा रहा है। आवेदकगण के दमोह न्यायालय में समर्पण की सूचना दिये जाने के बावजूद पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया। आवेदक गोलू उर्फ दीपेन्द्र की जमानत याचिका माननीय उच्च्य न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने एवं समक्ष व्यक्ति द्वारा जमानत पेश किये जाने के बावजूद पीठासीन अधिकारी ने उक्त जमानत तस्दीक न करते हुए निरस्त कर दी। पीठासीन अधिकारी आवेदकगण से न्यायालय

प्रिय व्यवहार नहीं करते हैं। आवेदकगण ने दिनांक 05.11.2020 को वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से अभियोजन साक्ष्य कराये जाने पर लिखित आपत्ति मेल द्वारा प्रेषित की थी, जिस पर उन्हें सुनवायी का अवसर दिये बिना आवेदन का निराकरण कर दिया गया। आवेदक बलवीर के कोरोना पॉजीटिव पाये जाने पर उसे जिला चिकित्सालय दमोह में भर्ती कराये जाने पर पीठासीन अधिकारी ने जिला चिकित्सालय दमोह को नोटिस भेजकर उसे डिस्चार्ज कर वापस जेल भेजने का आदेश दिया। आवेदकगण को न्यायालय में पूरी आस्था है, लेकिन पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय की मंशा के अनुरूप न्यायदान नहीं करना चाहते। आवेदकगण द्वारा प्रकरण की सत्य प्रमाणित प्रतियां दिये जाने के लिए किये गये आवेदन का भी पीठासीन अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड न भेजे जाने के कारण निराकरण नहीं हो पाया। उनके द्वारा दिनांक 10.11.2020 को जेल प्रबंधक एवं मेडिकल ऑफीसर के विरूद्ध न्यायालयीन कार्य में बाधा पहुंचाने के कारण न्यायालय में मामला पंजीबद्ध किया गया, लेकिन उन्हें किसी तरह का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया गया। प्रत्येक पेशी पर प्रत्येक अभियुक्त के अधिवक्ता के उपस्थित होने के बावजूद पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्तगण के विधिक सहायता से अधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश दिया। पीठासीन अधिकारी फरियादी पक्ष की ओर से व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्यवाही कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना न पाते हुए आवेदकगण द्वारा प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया गया। आवेदन का अनावेदक क्र.1 राज्य व अनावेदक क्र.2 महेश चौरसिया, जो कि सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 का फरियादी है, की ओर से गंभीर विरोध किया गया।

03. आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उद्भूत होता है–

> क्या सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 में संचालित की जा रही कार्यवाही के आलोक में प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने योग्य है ?

04. प्रकरण में उभयपक्ष के तर्क सुने गये। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित दस्तावेजों, सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 एवं श्री आर.पी. सोनकर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हटा द्वारा प्रस्तुत टीप का परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष के सकारण आधार

05. आवेदकगण ने इस प्रकरण में सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 में संचालित की जा रही न्यायिक कार्यवाही में पीठासीन अधिकारी महोदय श्री आर.पी. सोनकर द्व ारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किये जाने के आक्षेप लगाते हुए प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया गया है। जिन आधारों पर यह प्रार्थना की जा रही है, उन पर आगे की कंडिकाओं में बिन्दुवार विचार किया जा रहा है।

06. आवेदकगण के अनुसार आवेदक गोलू उर्फ दीपेन्द्र के दमोह न्यायालय में समर्पण के बावजूद पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा आवेदक के विरूद्ध गिरफ्तारी

वारंट जारी करने का आदेश दिनांक 17.07.2020 को पारित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.07.2020 की आदेश पत्रिका में यह स्पष्ट रूप से लेख किया गया कि दिनांक 17.07.2020 को आरोपी गोलू उर्फ दीपेन्द्र सुबह 11:00 बजे न्यायालय में स्वयं को समर्पित करेगा। दिनांक 17.07.2020 को न्यायालय द्वारा यह आदेश पत्रिका लेख की गयी कि उसने समर्पण न करते हुए जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है, अतएव उसके विरूद्ध वारंट जारी किया जाये व धारा 446 द.प्र.सं. की कार्यवाही संस्थित की जाये। उसी दिनांक की 12:30 पी.एम. की आदेश पत्रिका यह दर्शाती है कि जिला जेल दमोह द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 143/19 में आरोपी गोलू उर्फ दीपेन्द्र द्वारा आत्मसमर्पण कर जिला जेल दमोह में दाखिल होने की सूचना पत्र द्वारा दी गयी तथा दिनांक 17.07.2020 को ही समय 01:30 बजे आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दमोह के समक्ष सत्र प्रकरण क्र. 78/2019 में आत्मसपर्मण करने की जानकारी देते हुए आवेदन पेश किया गया है। स्पष्ट है कि आवेदक गोलू उर्फ दीपेन्द्र ने सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 में दिनांक 17.07.2020 को आत्मसमर्पण नहीं किया तथा वह अन्य किसी सत्र प्रकरण में आत्मसपर्मण कर चुका था, इस तथ्य की जानकारी भी समय से उक्त न्यायालय को नहीं दी गयी। ऐसी दशा में पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 में वांछनीय आवेदक के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश किसी गैर न्यायिक मंशा से प्रेरित होना नहीं पाया जाता।

07. आवेदकगण के अनुसार आवेदक गोलू उर्फ दीपेन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत सक्षम होने के बावजूद न्यायालय द्वारा निरस्त की गयी, किन्तु न्यायालय की दिनांक 01.07.2020 की आदेश पत्रिका यह दर्शाती है कि न्यायालय द्वारा संतोषप्रद न होने के कारण लिखते हुए उक्त जमानत निरस्त की गयी तथा जमानत निरस्त करने का कारण यह था कि एक जमानतदार द्वारा जिस भूमि पर जमानत ली जा रही थी वह पूरी जमीन लगभग रूपये 25,000,00/– में बैंक के पास बंधक थी तथा दूसरे जमानतदार के पास जमानत लेने हेतु पर्याप्त सिंचित रकवा नहीं था। दिनांक 02.07.2020 को जब आवेदक गोलू द्वारा समक्ष जमानतदार पेश किये गये तो पीठासीन अधिकारी द्वारा जमानत तस्दीक कर स्वीकार की गयी। अतएव पीठासीन अधिकारी पर इस संबंध में लगाये गये आक्षेप अभिलेख से समर्थित होना नहीं पाये जाते।

08. आवेदकगण के अनुसार दिनांक 05.11.2020 को उनकी ओर से प्रस्तुत आपत्तियों पर उन्हें सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया गया। दिनांक 05.11.2020 की उक्त न्यायालय की आदेश पत्रिका दर्शाती है कि आवेदन पत्र व आपत्ति पर दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया गया था तथा दिनांक 06.11.2020 को आवेदकगण की ओर से पुनः इसी प्रकृति के पेश किये गये आवेदन पत्र पर पुनः सुनवायी कर विस्तृत आदेश पारित किया गया। इन दोनों ही दिनांकों पर पारित आदेश के संबंध में आवेदकगण की ओर से न तो उक्त दोनों दिनांकों पर न ही उसके पश्चात ऐसी कोई आपत्ति पीठासीन अधिकारी के समक्ष मौखिक अथवा लिखित रूप से पेश की गयी कि आवेदन पत्रों पर उन्हें सुनवायी का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है। स्पष्ट है कि आवेदकगण उन्हें सुनवायी का अवसर दिये बिना

उनका आवेदन व आपत्ति का निराकरण करने बाबत निराधार आक्षेप लगा रहे हैं।

09. आवेदक बलवीर के कोरोना पॉजीटिव होने के बाद भी पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे वापस जेल दाखिल करने का निर्देश दिये जाने का आक्षेप भी आवेदकगण ने लगाया है, किन्तु दिनांक 06.11.2020 की सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 की आदेश पत्रिका दर्शाती है कि आवेदक बलवीर के कोविड पॉजीटिव पाये जाने की जानकारी न्यायालय को पत्र द्वारा दिये गयी किन्तु उसके साथ उसके आरटीपीसीआर टेस्ट की केवल छायाप्रति पेश की गयी जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, इसलिए रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर कोई निष्कर्ष लेख न करते हुए पीठासीन अधिकारी ने आवेदक बलवीर की रिपोर्ट विवरण सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से तलब किये जाने का आदेश दिया था तथा दिनांक 09.11.2020 तक शाम 05:00 बजे तक उक्त रिपोर्ट पेश न किये जाने के संबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्पष्टीकरण प्रतिवेदन सहित तलब करने का आदेश दिया था। आवेदक बलवीर को कोविड केयर से वापस जेल दाखिल किये जाने के संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश दिये जाने का कोई उल्लेख आवेदकगण द्वारा अवलंबित आदेश पत्रिकाओं में नहीं मिलता, अतएव इस संबंध में पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेप भी निराधार पाये जाते हैं।

10. पीठासीन अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड न भेजे जाने के कारण आवेदकगण को आदेश पत्रिकाओं की सत्यप्रतियां प्राप्त नहीं हो सकी हैं, यह भी उनकी ओर से दावा किया गया है, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.11.2020 को आवेदन पेश करते समय आवेदकगण ने सूची सहित आदेश पत्रिकाओं की प्रमाणित प्रतियां पेश की थी, जो कि दिनांक 10.11.2020 तक लेख की गयी आदेश पत्रिकाओं से संबंधित थी, तथा मूल सत्र प्रकरण के परिशीलन से ज्ञात होता है कि दिनांक 10.11.2020 के पश्चात प्रकरण विचारण हेतु दिनांक 24.11.2020 के लिए नियत हुआ तथा बीच में दो अंतरिम पेशियों दिनांक 17.11.2020 एवं 18.11.2020 को प्रकरण के विचारण संबंधी कोई कार्यवाही न करते हुए अभियुक्तगण को न्यायालय को सूचना दिये बिना अस्पताल में भर्ती किये जाने की कार्यवाही के संबंध में संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण बुलाये जाने की कार्यवाही की गयी, अतएव आवेदकगण के इस तर्क में भी कोई बल नहीं पाया जाता कि उन्हें समय से आदेश पत्रिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त नहीं होने के कारण उनके बचाव को प्रतिकूलतः प्रभावित किया गया।

11. आवेदकगण ने एक अन्य आपत्ति यह ली है कि पीठासीन अधिकारी ने जेल प्रबंधक व मेडिकल ऑफीसर के विरूद्ध, उन्हें किसी तरीके का कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये बिना उनके विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया गया, किन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से शासकीय कर्मचारी के विरूद्ध संस्थित की गयी इस कार्यवाही से आवेदकगण किस तरह प्रतिकूलतः प्रभावित हुए, यह समझ से परे है।

12. आवेदकगण की यह भी आपत्ति है कि उनके अधिवक्ता नियुक्त होने के

बावजूद पीठासीन अधिकारी द्वारा उनकी ओर से विधिक सहायता से अधिवक्ता नियुक्त किये जाने के आदेश दिये गये, किन्तु पीठासनी अधिकारी ने यह आदेश दिनांक 10.11.2020 को यह लेख करते हुए पारित किया कि प्रकरण में फरियादी सुबह से साक्ष्य हेतु उपस्थित है, जबकि कुछ अभियुक्तगण के अधिवक्ता दोपहर पश्चात उपस्थित हुए, अतएव आगामी पेशी के लिए अभियुक्तगण को निर्देशित किया गया कि वे अपने–अपने अधिवक्तागण से संपर्क स्थापित कर नियत दिनांक से निरंतर साक्षियों से प्रतिपरीक्षण हेतु उन्हें उपस्थित रखें अन्यथा विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नियुक्त पैनल अधिवक्ता को नियुक्त कर उनसे प्रतिपरीक्षण कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी। स्पष्ट है कि न्यायालय ने यह आदेश अभियुक्तगण की ओर से अपने अधिवक्तागण को समय से न्यायालय में उपस्थित न रखने की स्थिति में, इस स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए पारित किया कि भविष्य में साक्ष्य लेखन की कार्यवाही समय से प्रारंभ की जा सके। पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश किसी भी दुराग्रह से प्रेरित होना नहीं पाया जाता।

13. उपरोक्त की गयी संपूर्ण समीक्षा के आधार पर यह पाया जाता है कि आवेदकगण द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रकरण के अंतरण की प्रार्थना की गयी है, अतएव आवेदन रूपये 2000/– का परिव्यय आरोपित कर निरस्त किया जाता है। उक्त परिव्यय राशि अनावेदक क्र.2 महेश चौरसिया पिता नर्मदा चौरसिया को देय होगी।

14. आदेश की प्रति के साथ संबंधित न्यायालय का सत्र प्रकरण वापस भेजा जावे।

सही/–
(अनुराधा शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश, दमोह

दमोह, दिनांक 21.01.2021

गिरजेश

GIRJESH CHOURASIA
Digitally signed by GIRJESH CHOURASIA
Date: 2021.01.22 11:48:27 +0530